नयी कर पद्धति - क्यों और कैसे

जर्जर व्यवस्था या ढीली सरकारी कार्य प्रणाली के कारण और दुष्परिणाम:

ये कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुसार कई हो सकते हैं । लेकिन समग्र रूप से ये कारण निम्न चार हैं:

1. **सरकारी कार्य का केन्द्रीयकरण और गहन देख-रेख (supervision)का अभाव**

विभिन्न् सरकारी सेवाओं का शहर की छः स्तरीय और गाँवों की तीन स्तरीय प्रशासन प्रणाली के कारण न चाहते हुए भी केन्द्रीयकरण हो गया है क्योंकि एक तो हर सुधार या कल्याण के काम के लिए या नीति बनाने के लिए नीचे से ऊपर तक प्रस्ताव अनुमोदन (अनुमति) की आवश्यकता होती है और दूसरी तरफ लोक सेवा प्रदान करने वाले कार्यालय एक राज्य में ही नगर या शहर में बहुत दूर स्थापित होते हैं (सामान्यतः जहाँ पहुंचने में एक से दो घंटे लगते हैं) ।परिणाम स्वरूप सरकारी विभाग गरीब की पहुँच से बाहर हो जाते हैं और मध्यवर्गीय जनता के लिए वहाँ पहुँचना एक बड़ा त्याग सिद्ध होता है ।

अधिकतर जनता सरकारी विभागों के तौर तरीके, प्रावधान और जटिलताओं से अनभिज्ञ हैं और इसके कारण विभिन्न सरकारी कर्मचारियों द्वारा बेवकूफ बनायी जाती है। जैसे कि लिपिक एक छोटी सी गलत आपत्ति या एक तुच्छ सी त्रुटि को भी पहाड़ सा बनाकर कई लोगों का मूल्यवान समय और उर्जा नष्ट करते हैं. इस कारण से जनता और सरकारी कार्य के बीच मध्यस्थ पैदा हो गये हैं और यह मध्यस्थता अपने साथ जुड़े सारे कुकृत्य (उल्लु बनाना –सीधे काम न होने देना जैसे) सरकारी सेवाओं में ला चुकी है।

लोक सेवा संस्थाओं के इस केन्द्रीयकरण से ठेकेदारों द्वारा किए गये कार्य की और ठेके से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को सौंपे गये कार्य की उचित देखरेख भी नहीं हो पाती है। इससे अधिकतर (मुख्य कार्यों को छोड़कर) उनके द्वारा संपादित कार्य निम्नस्तरीय क्वालिटी का रहता है।

2. **करों/निधियों (पैसे) का केन्द्रीकृत भंडारण्**

सरकार द्वारा लगाये गये विभिन्न कर मुख्यतः सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वद्धी कर , सम्पति कर और आय कर सरकारी विभागों द्वारा लिए जाते हैं और वे एक केंद्रीय कोष में खजाने की रसीद या चालानों द्वारा एकत्रित होते हैं । केंद्रीय कर केंद्रीय खज़ाने में और राजकीय कर राज्य के खज़ाने में । सरकार इस खज़ाने का एक बड़ा भाग इन तरह तरह के करों को लेने की व्यवस्था बनाने, उसके प्रबंध और नियमन पर खर्च करती है. उदाहरण के लिए –बिक्री कर विभाग की पूरी कलैक्शन का एक बडा भाग विभाग की कुल तनख्वाह और कम्पयूटरस पर खर्च हो जाता है।

कर या अन्य स्त्रोतों से एकत्रित निधी हर वर्ष बजट द्वारा विभिन्न खर्चों के लिए आबंटित की जाती है. बजट विभिन्न औधोगिक, भौगोलिक, सार्वजनिक क्षेत्रों जो कि विभिन्न सरकारी प्रतिनिधियों/विभागों/ समितियों द्वारा संचालित होते हैं, की मॉगों का आकलन कर बनाया जाता है। ये मॉगे सरकारी विभागों वेतन और खर्चों और विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र की जरूरतों के आकलन के आधार पर सरकारों को प्रस्तुत की जाती है । सरकारी प्राधिकरण/निगम/संस्थायें जो अपने नाम से फ़ीस/कर/सेवा भार/अधिभार एकत्रित करती है, वे भी अपनी कलैक्शन का एक बड़ा भाग सरकारी संस्थाओं में निवेश द्वारा सरकारी कोष में पहुँचाती है । जो निधि वास्तव में सरकार के पास बनती है उसे बजट के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में बॉट दिया जाता है। खर्चों में कोई

भी अधिकता या बाद में बड़ जाने की (प्राप्तियों में कमी रह जाने पर) भरपाई पुराने कोषों से या छूटों को कम कर या करों की दर या कर क्षेत्रों को बड़ाकर की जाती है ।

कर संग्रहण, संभरण और वितरण की उपरोक्त व्यवस्था से निम्न तरह के अवरोध या अव्यवस्थायें सामने आयी हैं:

- कर देने वाला यह नहीं जानता कि कर कहाँ और किसके पास गया है ? कौन इस कर में से खर्च के लिए जवाबदेह है? इस असमर्थता में जब वह सरकारी संस्थाओं से उचित सेवायें नहीं पाता है तो यह सोचता है कि उसके द्वारा दिया गया कर उस पर खर्च नहीं होता है। फलतः कर देने का उत्साह ही खत्म हो गया है।
- करों का केन्द्रीय कोष में जाना और फिर वितरण होने से एक सरकारी विभाग में एक विशेष समय पर पैसा न होने की समस्या सामने आती है। इससे कई कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं।
- इस तरह की कर व्यवस्था , प्रस्ताव बनाना और इसे स्वीकृती देने की , एक लंबी कड़ी को बनाती है, जिससे समस्या के हल या कार्य के क्रियान्वयन में अक्सर देरी होती है और साथ साथ भ्रष्टाचार के मौके और कारण पैदा होते हैं.और कइ बार जरूरी काम लंबे अर्से तक जस के तस अनछुए रहते है।
- कर देने योग्य नागरिक अपना देय कर दे रहे हैं कि नहीं इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। छोटा मोटा काम शुरू करने वाला व्यक्ति आय के कई गुना बड़ जाने पर भी कर या उचित कर देने की नहीं सोचता है. इसी तरह स्थापित पुराने व्यवसायी भी कई तरह से करों की चोरी का प्रबंध करते हैं। ऐसी अनियंत्रित कर व्यवस्था से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर की दरें ऊँची रहती हैं और मंहगाई का सारा भार मध्य श्रेणी और गरीब श्रेणी नागरिकों को वहन करना पड़ता है। इससे अमीर-गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई है.
- कर वसूली व्यवस्था का केन्द्रीयकरण होने से (लोगों के नज़दीक न होने से) सरकार ने स्वैच्छिक कर विवरणी(Tax Return) स्वयं कर निर्धारण प्रणाली(Self assessment tax system) के तहत जमा कराने की व्यवस्था बनाई है. ऐसी व्यवस्था को दोनों ओर से नागरिक और सरकारी कर्मचारियों द्वारा बहुत ऊँचे स्तर तक दुरूपयोग हो रहा है. इस कारण से एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था जिसे काला धन कहते हैं, बन गई है जो हमारे देश के सर्वांगीण स्वच्छ विकास में बाधा बन रही है। इस समानान्तर व्यवस्था के कारण सरकार पर पूरे कर नहीं पहुँच पाते और समाज कल्याण और सफाई कार्यों के लिए पैसे की कमी बनी रहती है । सरकारी हाथों में निधियों का अभाव जनता को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में सरकार को पंगु बना देता है । यह बड़ी दयनीय स्थिति है कि जनता को अपनी सामाजिक सुरक्षा का अपने आप ही प्रबंध करना पड़ता है । समझदार लोग तो यह कर पाते हैं और सरकारी स्कीम का फायदा उठाते हैं पर नासमझ लोग (poor) यह न कर पाने से आक्रोश या कुंठा से भरे रहते है और उचित शिक्षा न होने के कारण (ड्राप आऊट या स्कूल बीच में छोड़ने से) गंदी आदतें पाल लेते हैं। यही गंदी आदतें बड़ते हुए अपराधों , सड़कों पर तरह तरह की गंदगी (पान की पींक, सैशे आदि)और पटरियों पर फेरी/रेड़ी वालों की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण है। पढ़े लिखे लोग या पैसे वाले लोग भी ऐसे अनुशासन रहित सामाजिक जीवन पर कोई रोक न होने से इस तरह की बुराईयों को अपना लेते हैं और समाज सुधारक कहते रह जाते हैं कि अपने को क्यों नहीं सुधारते? गायत्री कुंज हरिद्वार का नारा है हम सुधरेंगे समाज सुधरेगा , पर कैसे?

कर प्राप्तियॉ जो पहले ही (कर से बचने या कर चोरी के कारण) कम होती है, तरह तरह के घोटालों से और कम हो जाती हैं और सरकार के पास साफ सफाई, रख रखाव (जो कि आधुनिक उपकरणों से मिनटों में हो सकते हैं) के लिए और गरीब की सहायता के लिए हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है.

3.<u>असली दोषियों के खिलाफ नरमी और सख्त सजा का अभाव</u> या वास्तविक अपराधियों को अपराध रोकने वाली सज़ा न दे पाना या सज़ा में ढ़ीलापन -

इस तरह के कारण को संक्षिप्त में 'ढ़ीले या शिथिल लोकतंत्र' से बयां कर सकते हैं. देश की शासकीय व्यवस्था के लिए आजकल लोकतंत्र एक आवश्यकता हो गया है पर जब यह आंशिक तौर पर या जनतापर अत्यधिक ढ़ील के साथ लागू किया जाता है तो यह कहर ढ़ाता है जैसा कि आज देश में हो रहा है. छोटा सा अपराधी तो विकट यातना सहता है और बड़े अपराधी एक या दूसरे तरीके से यातना से बचते रहते हैं और बरी होने पर और भी बड़े अपराधों/घोटालों को अंजाम देते हैं।

चीन में शासकीय निर्देशों का अक्षरतः पालन और नियम तोड़ने वालों को उदहारण प्रस्तुत करने वाली सज़ा ही उस देश की समृद्धि और द्रुत विकास का कारण है।

प्रश्न उठता है कि क्यों हमारी पुलिस या विजिलेंस या देख रेख मशीनरी ढ़ीली है? क्यों हमारे कर विभागों के निरीक्षक (inspector) जनता पर उचित दबाव नहीं बना पाते हैं ? इसका उत्तर जो नेता लोग और सरकारी कर्मचारी देना पसंद करते हैं वह यह है कि हमारे देश के अधिकतर लोग गरीब हैं और अपने परिवार को संभालने के दबाव में जीते हैं। ऐसे में कैसे कानून और पुलिस उनके प्रति कठोर हो सकते हैं? लेकिन जो उत्तर वे जानते हैं पर बोलना नहीं चाहते वह यह है कि अगर हर जुर्म के लिए कड़ी सजा रखी गई तो वोट डालने वाले लोग बिदक जायेंगे, लोकतंत्र हिलेगा और मौज मस्ती वाली कुर्सियॉ छिन जायेंगी। और यह वोट देने वालोंको बचाने वाली नीति ही नेताओं को सड़कपर होने वाली सभी अनुशासनहीन करतबों और किसी अच्छी नीति के अधूरे कार्यान्वयन के प्रति सख्त कदम लेने से रोकती हैं। <u>हमारे संविधान के प्रावधान भी ढीले शासन को सहारा देते हैं और इसीलिए संविधान में आज के समयनुसार सामाजिक कुरीतियों ,भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता से निपटने के लिए लोकपाल जैसे प्रावधानों का समावेश अति आवश्यक है।</u>

सबसे अधिक दयनीय बात यह है कि वोट बैंक में नासमझ, अनपढ़ BPL लोगों की संख्या काफी है और इन लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सरकारी स्कीमों को समझने और लाभ उठाने के प्रति न तो जागरूकता है और न ही समझ. ये लोग बिना समझे बूझे क्षणिक सुख या भौतिक सुविधा (जो मानसिक उत्थान और स्तर ऊँचा उठाने में कोई सहायता नहीं करती) के लालच में वोट दे देते हैं। जिन लोगों को अपने अधिकारों की समझ है वे न तो वोट देने जाते हैं और न ही सरकारी नियमों और नीतियों की परवाह करते हैं। ऐसे लोग सरकारी ढ़ीले प्रशासन का खुलकर फायदा उठाते हैं और मध्यस्थी के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और साथ ही साथ गरीब कल्याण के वास्तविक कार्यों (जैसे उनके स्तर के उत्थान में सहायता करना आदि) से विमुख रहते हैं। भ्रष्टाचार की पूर्ती करने वाला ऐसा वर्ग ही सरकारी विजिलेंस तंत्र को ढीला कर देता है ।

और एक दयनीय स्थिति यह है कि जब कोई समझदार और शिक्षित जब व्यवस्था के विरूद्ध या किसी नेता या पुलिस आफिसर से संबधित असली अपराधी के विरूद्ध आवाज़ उठाता है तो उसे बुरी तरह से कुचलने के लिए सारी सरकारी कानून पड़ाने वाली मशीनरी कार्यरत हो जाती है. <u>जैसे कि बाबा रामदेव के आंदोलन को दबाना</u>। इसी कारण से जनता में एक डर पैदा हो गया है और वे वास्तविक अपराधियों से मुँह फेरे रहते हैं. <u>ऐसी असहाय स्थिति में गरीब समझदार लोगों में जल्दी ऊपर उठने के लिए अपराध को अपनाने के सिवा और कोई चारा नहीं रहता है।</u>

यह सरकारी अव्यवस्था का कारण भी ढ़ीले निरिक्षण एवं ढ़ीली देख रेख को बड़ावा देता है क्योंकि ठेकेदारों को खराब काम करने पर सज़ा का डर नहीं होता है।

4. **अधिकारियों की दूर दराज़ स्थानों/राज्यों में नियुक्ति और स्थानीय सेवादारों-ठेकेदार, अंकेक्षक, चिकित्सक,वकील, वास्तुकारों, पर्यवेक्षकों को प्राथमिकता न देने की नीति**

लोकतंत्र के नाम पर और सरकारी काम काज़ का केन्द्रियकरण होने के कारण, सरकारी पद हस्तांतरणीय या तबादले योग्य रखे गये हैं और इसी व्यवस्था का अक्सर काफी दुरूपयोग होता है।

एक अधिकारी को जब पैतृक नगर या जिले से दूर नियुक्त या हस्तांतरित किया जाता है, तो वह इस स्थिति का बड़े भारी मन से स्वीकार करता है और साथ ही साथ अपने को अलग थलग सा समझता है. वह हर दम प्रार्थना/कोश्शि करता रहता है या करती रहती है कि मेरा जल्द से जल्द फिर अपने पैतृक स्थान/राज्य या जिले में वापसी हो जाये ।

यह अलगाव की मनः स्थिति उसका स्थानीय लोगों और इलाके के प्रति प्रेम का भाव विकसित करने में बाधा बनती है और इस प्रकार अधिकारियों में क्षेत्र के विकास के लिए होने वाली लग्न को कम करती है। कुछ इस तरह की स्थिति वहाँ की जनता की होती है क्योंकि दूर दराज़ से आए अधिकारी की भाषा या व्यवहार के भिन्न होने पर वह उनसे तालमेल नहीं बैठा पाती है। यह अलगाव ही अधिकारियों में यह भावना पैदा करती है कि जब कुछ समय ही वहाँ रहना है तो क्यों न ठेकेदारों से मिलकर या नेताओं के बहकावे/दबाव में आकर अधिक से अधिक धन जोड़ लिया जाए। ट्रांसफर की तलवार लटके होने से वह व्यवस्था के विरूद्ध भी कुछ नहीं कर पाता है ।

ऊपर वर्णित असमंजस और अलगाव की स्थिति उन चिकित्सक, अंकेक्षक, ठेकेदारों और सलाहकारों की भी होती है जो कि निविदाओं के द्वारा दूर दराज़ आदि के कार्यों के लिए प्रतिबंधित किए जाते हैं. ये लोग केवल अपना काम निपटाने तक सीमित रह जाते हैं और स्थानीय लोगों और क्षेत्र की समस्याओं के बारें में एक बार भी नहीं सोचते हैं. उदहारणार्थ –जनगणना की ड्यूटी ज़ल्दबाजी में आखिरी दिनों में ही निपटाई गई। स्थानीय लोग भी इनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं और चूँकि ये लोग कल्याण कार्य - एक कार्य की तरह करते हैं न कि कर्तव्य मानकर , तो लोग ज्यादा सहयोग भी नहीं देते हैं। इन्हीं कारणों से गैर सरकारी संस्थायें भी सीमित रूप मे ही सफल हैं। NGOs लोंगों की कुछ पीड़ाओं को कम कर पाते हैं पर पीड़ाओं के कारणों के निवारण में असफल रहते हैं।सरकारी अव्यवस्था का यह कारण भी सरकारी कर्मचारी के भ्रष्ट हो जाने और ढ़ीले काम के तरीके को बढ़ावा देता है ।

लोक सेवा व्यवस्था कैसे ठीक हो? क्या सुधार आवश्यक है?

सरकारी सेवा विभागों के ढ़ीलेपन के कारणों को जानकर यह प्रश्न उठता है कि लोक सेवा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन क्यों आवश्यक है? क्या सरकारी विभागों की अक्षमताओं को पहचानकर खत्म नहीं किया जा सकता? क्या विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों द्वारा लोक सेवा सुधार के लिए उठाये जाने वाले कदम –जैसे कि बिहार में नितिश कुमार जी का लोक सेवा कानून 2010 या मध्य प्रदेश में प्रयोग में लाया गया लोक सेवा गारंटी कानून या गुजरात और दिल्ली में लोक सेवा विभागों को चुस्त करने के लिए उठाये गए कदम –सरकारी बाबुओं को उत्तरदयी और जवाबदेह बनाने के लिए काफ़ी नहीं है ? इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको निम्न कारणों से 'न' ही दिखाई देगा:

- सामाजिक कल्याण के लिए बनाई गई साइट 'actionforchange.co.in' पर 'समाचारों पर प्रतिक्रिया कालम' में दिखाए गए उद्धरण साफ बताते हैं कि अधिकतर जन समस्यायें सरकार का जनता के साथ निकट का संबंध न होने के कारण पैदा होती है। सरकारी दफ्तरों में अक्सर सामान्य जन को सौतेला व्यवहार मिलता है और वे वहाँ जाना ही नहीं चाहते।
- जब सामान्य जनता का जागरूकता स्तर बहुत कम हैं और सरकारी अधिकारी (officer) स्थान-स्थान स्वयं जाकर उन्हें उनके अधिकार नहीं बताते हैं (केवल विज्ञापनों में देकर अपने काम की इति समझते हैं), जरूरतमंद लोगों की तरफ सहायता का हाथ नहीं बड़ाते हैं और उन्हें बिचौलियों के भरोसे (जो कि अक्सर सरकारी कर्मचारियों के मित्र या जानकार होते हैं) छोड देते हैं और ऊपर से सरकारी दफ़तरों की पारदर्शिता बहुत कम है तो यह समझ नहीं आता कि मुख्य मंत्रियों द्वारा उठाये जाने वाले कदम कैसे गरीब और अशिक्षितो को सहायता दे पायेंगे या पिछडे क्षेत्रों का विकास और विकसित क्षेत्रों का रखरखाव कर पायेंगे ?
- जब भारत के कानून को बनाने और लागू करवाने वाले विभाग –जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, विधि विभाग राजकीय सचिवालय आदि –अपना काफी समय और ऊर्जा व्यर्थ के मसौदों पर खर्च करते हैं –जैसे कि CVC श्री पी जी थामस का मुद्दा – (जिससे उनका भ्रष्टाचार रोक नीति पर उठाया कदम बेकार गया होगा),लोक सभा बार बार भंग होना , जैसे कि लोकपाल बिल के बिल्कुल तर्क संगत प्रावधानों पर अनावश्यक बहस आदि – तो हम पाते हैं कि सरकारी बाबूओं को काम की दिशा ही नहीं मिल पाती. एक पुराना काम ठीक से संपन्न हुआ ही नहीं कि एक नया काम उन्हें मिल जाता है. उनकी कार्य संपादन दक्षता का आकलन ही नहीं किया जाता।
- चुनाव अवधि (चुनाव के दो साल पहले और चुनाव के एक साल बाद का समय) के दौरान सरकारी विभागों का नियंत्रण काफी ढ़ीला हो जाता है और नीतियाँ विकास-मूलक, विकास उपयोगी होने के स्थान पर चुनाव उपयोगी हो जाती है. ऐसी स्थिति में योजनाओं और कानूनों के बनाने में देरी होती है और साथ ही साथ संसद पारित योजना का क्रियान्वन एक मुश्किल काम हो जाता है. इसके अतिरिक्त निजि स्वार्थों के कारण योजना के प्रारुप में भी दुर्बलता आती है।
- सरकारी मशीनरी में इतना जंग लग चुका है कि वह अपनी अकार्यकुशलता के कारणों के निवारण में पूर्ण रूचि नहीं रखती हैं. ऐसी स्थिति में नेता और बड़े उधोगपति भी मशीनरी के पुर्नजीवन के कार्यों में सहयोग देना व्यर्थ समझते हैं ।

- अंततः सरकारी करों और निधियों का एक केन्द्र पर इकट्ठा होने से, सामान्य जन की समस्याओं के निदान के लिए और गरीब के कल्याण के लिए बनायी गयी स्कीमें और कानून उनकी समस्याओं का निदान करने में पैसा नीचे तक न पहुँचने के कारण असफल रहतें हैं ।

इसीलिए सरकारी व्यवस्था का कामकाज –जड से सुधार ही एक क्षेत्र को और उस क्षेत्र के गरीब/नासमझों को ऊपर उठाने का एकमात्र हल है। और यह कायाकल्प सरकारी विभागों में निजी घटकों की भागीदारी (ppp मॉडल – क्षेत्रीय नेता और अफसर का मिलकर काम करना) से ही संभव है। यह भागीदारी एक सीमित क्षेत्र के रख-रखाव, उस क्षेत्र की शिकायतें और क्षेत्र विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अति आवश्यक है।

लोक सेवा क्षेत्र में सरकारी-निजि भागीदारी हर राज्य के प्रत्येक या प्रबंध योग्य वार्डो/पंचायतों में एक लोक सेवा संस्था बनाकर की जा सकती है। छोटे शहरों की अपनी एक और दूर दराज़ चार पॉच गॉव मिलाकर उनकी एक सेवा संस्था बनाई जाये। यह संस्था एक मंडल (बोर्ड)द्वारा संचालित होगी जिसमें सरकार और निजि क्षेत्र के एक समान संख्या में प्रतिनिधि रखे जायें। सरकारी प्रतिनिधि गृह मंत्रालय द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी होंगे और निजि क्षेत्र प्रतिनिधि शहरों में जनता द्वारा चुने गये व्यक्ति (MLAs) और गॉवों में पंचायत के सदस्य होंगें (इस लोक सेवा संस्था मंडल को आगे 'मंडल या बोर्ड' कहा जाएगा)।

इन लोक सेवा केन्द्रों और उनके मंडल को अधिकारों से विभूषित और कर्तव्यों से बंधित करने के लिए और इन्हें वास्तव में देश के सभी भागों के लिए उपयोगी बनाने के लिए संविधान और नीतियों में निम्न संशोधनों की आवश्यकता होगी:

संवैधानिक संशोधन –

अगर पूरी व्यवस्था को ही बदलना है तो देश के नगर निगम और पंचायतों के कार्यों में आधारभूत परिवर्तन की जरूरत होगी जो कि संविधान में निम्न संशोधनों से लाए जा सकते हैं:

1. नगर निगम और पंचायतों में राज्य के लोक निर्माण् विभाग और केन्द्र के राजस्व विभागों का समावेश और उनका नाम बदलकर ' लोक सेवा संस्था' करना ;

2. केन्द्रीय करों (Union taxes) को लोक सेवा संस्था द्वारा एकत्रित कर एक निश्चित भाग सेवित क्षेत्र पर खर्च के लिए रख बाकी भाग मुख्यमंत्री कार्यालय के मार्फत केन्द्र को भेजने का प्रावधान;

3. सभी मुख्य मंत्रियों के कार्यालयों में एक लोक सेवा विभाग राज्यीय गृह मंत्रालय के प्रभार में बनाना –जिसके मुख्य वर्तमान मुख्यमंत्री होंगे। इस राज्यीय लोक सेवा विभाग के निम्न कार्य होंगे:
   - राज्य के प्रत्येक वार्ड/ब्लॉक में लोक सेवा संस्था की स्थापना ।
   - लोक सेवा संस्थाओं के कार्यों एवं गतिविधियों का निरीक्षण एवं नियंत्रण।

- राज्यों को सार्वभौमिक तौर पर सभी सेवा संस्थायों पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों को लेना जैसे – सिंचाई का पानी, बिजली बंटवारा आदि और उन्हें संबंधित सेवा संस्थाओं को क्रियान्वन के लिए देना।
- लोक सेवा संस्थाओं द्वारा जनहित के लिए उठाए मुद्दों पर नीति बनाना और उसे केन्द्र से मंजूरी दिलवाना।
- अन्य सभी लोक सेवा कार्य जो अभी भी राज्य सरकार कर रही है।

<u>लाभ:</u>

- लोक सेवा केन्द्र जब जनता के पास होंगे और पैसे से मजबूत होंगे तो वे वहाँ के लोगों को उनके पास जाकर सेवा दे पायेंगें. वे अपने क्षेत्र के पिछड़े लोगों को उज्जड़ गंवार और गरीब लोगों को उत्थान के अवसर देने के लिए छाँट पायेंगे।
- वे क्षेत्र में होने वाले कार्यों की सुदृड़ता से देख रेख करेंगे। अनधिकृत भूमि सीमा के उल्लंघन को, पटरियों को अनावश्यक घेरने को आरंभ में ही रोक पायेंगे।
- जनता उनके कार्यो पर नजर रख सकेगी ।

4. जन निर्वाचित विधायक (M L As) और काउंसलरस मंडल के निजि क्षेत्र से सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी/राजस्व अधिकारी/ पुलिस अधिकारी सरकारी क्षेत्र से मंडल के सदस्य होंगे।

<u>लाभ:</u>

- वर्तमान विधान सभाओं के चुनाव पर कोई असर नहीं होगा ।
- विधायकों को सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों का साथ मिलने से कार्य अच्छे और सुलझे हुए तरीके से पूर्ण होंगे।

5. लोक सेवा संस्थाओं को अपने क्षेत्र के रहने वालों से और क्षेत्र के मकानों/व्यवसायिक संपदा के मालिकों से एक समान कर (सारे देश में) एक निश्चित आधार पर लेने का अधिकार देना। यह <u>कर आधार (Tax Base) क्षेत्र में स्थित घर/दुकान/गोदाम/कारखाना आदि ,चार पहिया मोटर गाडी और व्यवसायिक संस्थानों की सकल बिक्री हो सकते हैं।</u> इस व्यवस्था से वित्त मंत्रालय का कर स्त्रोत जनता की बजाय लोक सेवा संस्था हो जायेगी। इन <u>संस्थायों की प्राप्तियों का एक हिस्सा राजकीय गृह मंत्रालय के मार्फत वित्त मंत्रालय को देने का प्रावधान कर संग्रहण के लिए एक नई कर प्रणाली (New Tax System) निम्न कार्यों के लिए बनायी जा सकती है</u>:

- सभी केन्द्रिय कर और राजयीय सम्पत्ति करों को समाप्त कर, एक बिंदु कर प्रणाली संस्था के नियमित जनगणना और संपत्ति गणना के आधार पर लागू करने के लिए;
- लोक सेवा संस्था द्वारा कर संग्रहण के लिए;
- कर का निश्चित हिस्सा वित्त मंत्रालय को देने के लिए;

- वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों और अन्य मंत्रालयों के खर्चों के लिए वित्त प्रदान करने के लिए; और
- जिस संस्था में प्राप्तियाँ आवश्यक खर्चों के लिए कम होती हैं वहाँ विकास होने तक वित्त व्यवस्था के लिए;

<u>लाभ :</u>

- यह संवैधानिक संशोधन करों के केन्द्रिय पूल में इक्ट्ठा होने से उपजे दुषप्रभाव को दूर करेगा।
- कर प्रणाली आसान और सीधी होने से सरकारी तंत्र कर अदायगी/वसूली संबंधित जटिलताओं से मुक्त होगा और जन जन के विकास के लिए सोच सकेगा।
- कर आधार संपत्ति होने से लोगों में संपत्ति संग्रह का आकर्षण कम होगा और वे अपनी बचत सरकारी विकास कार्यों के लिए प्रस्तुत कर पायेंगे।
- कर का एक हिस्सा (उदहारण के लिए 50%) हमेशा लोक सेवा संस्था के पास क्षेत्र की देख रेख और उत्थान के लिए हमेशा उपलब्ध होगा तो उसकी सेवायें भी शीघ्र उपलब्ध हो पायेंगी।
- अंततः जब लोगों को पता होगा कि उनके कर किसके पास है तो वे संस्था को पारदर्शिता के लिए दबाव बना पायेंगे, जिससे संस्था के कर्मचारी उत्तरदायी बनेंगे और भ्रष्टाचार कम से कम लोक सेवाओं में तो खत्म हो ही जाएगा।

<u>नई लोक सेवा व्यवस्था के लिए आवश्यक नीतियाँ</u>

चूँकि <u>नयी व्यवस्था मुख्यतः छः करों –सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, मूल्य वृद्धि कर और आय कर –को समाप्त कर स्वरूप में आयेगी</u> और एक राज्य में कई सारी सेवा संस्थायें होंगी जिनका कार्य र्निमाण और रख रखाव भी होगा तो इन से संबंधित विभाग जैसे PWD(लोक निर्माण विभाग) नगर निगम, पंचायत और राजस्व विभाग आदि के विलय या समापन हेतु और इनके कर्मचारियों को नयी संस्थाओं में नियुक्ति देने हेतु निम्न नीतियाँ अति आवश्यक हैं:

1. लोक सेवा से जुड़ी संस्थाओं –वित्त/कर संग्रहण विभागों को मिलाकर –जैसे कि नगर निगम, पंचायतें,PWD, पौध रखरखाव, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क , सेवा कर विभाग, आय कर विभाग, और व्यापार कर विभाग – के <u>सभी स्थाई कर्मचारियों की राज्य के विभिन्न क्षेत्रों (वार्ड) अनुसार सूची बनाकर उनको अपने स्थाई रिहयाशी क्षेत्र की लोक सेवा संस्था में भर्ती देना</u> , प्रशासनिक अधिकारियों को मंडल में शामिल करना ;
2. किसी एक संस्था में <u>कम या ज्यादा स्टाफ को पास की ही संस्था से/में समायोजित करना</u> ;
3. <u>नयी भर्तियाँ केवल स्थानीय लोगों (क्षेत्र के) में से करना</u> और स्थानीय वकीलों, ठेकेदारों, डाक्टर और अंकेक्षक आदि को प्राथमिकता देना। केवल कमी पडने पर ही पास के क्षेत्रों से उसे पूरा करना।

<u>विशेष नोट -</u> यह नीति अनावश्यक राज्यीय और अंर्तराज्यीय हस्तांतरण को रोकने में मदद करेगी और कर्मचारियों का घर पास में होने से लोगों के दूर दराज आने जानेपर रोक लगायेगी। इससे <u>अनावश्यक यात्रायें कम होंगी और पेट्रोल और डीज़ल की बचत होगी।</u>

4. **<u>लोक सेवा अधिनियम</u>** बनाकर लोक सेवा संस्थाओं को निम्न कार्य सौंपना:

(क) स्थापित होने और भार ग्रहण करते ही शीध्र अति शीध्र **<u>एक बार किए जाने वाले कार्य:</u>**

(अ) निर्माण, नव निर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्वार या पुर्नस्थापना

हर क्षेत्र (वार्ड) में स्थित सरकारी इमारतें एक योजना और नीति के तहत वहॉ की लोक सेवा संस्था को सौंपी जा सकती है। जिस क्षेत्र में संस्था के कार्यों के लिए स्थान कम हो केवल वहीं नये निर्माण की आवश्यकता होगी। दिल्ली के मिंटो रोड स्थित जैसे कार्यालय को मंडल (Board) का कार्यालय बनाया जा सकता है और राज्य सरकार के कार्यालय के कार्य आवश्यकतानुसार बदले जा सकते हैं। लोक सेवा संस्था स्व: निम्न कार्यों का बीड़ा उठाएगी ।

बड़े शहरों और विकसित नगरों में :

-वाहन अड्डों (पार्किंग), शौचालय, मूत्रालयों, विवाह या समारोह केन्द्रों/स्थान, व्यवसायिक कार्य प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) केन्द्रों, वृद्धालय, अनाथालयों और आपदा नियंत्रण आदि केन्द्रों का जीर्णोद्धार या नव निर्माण करना।

- स्थानीय झुग्गी या स्लम जैसे माहौल में रहने वाले लोगों को छोटे मकानों में रहने का स्थान देना। ये रिहायशी घर एक स्कीम के तहत उन लोगों से भी लिए जा सकते हैं जिन के पास ये अनावश्यक ही निवेश के रूप में हैं।

ग्रामों और छोटे अविकसित शहरों में

-सबसे पहले वैध बिजली पानी और सीवर की व्यवस्था सुनिश्चित करना;

- उसके बाद वहॉ बिस्तर वाले एक कमरे का घर बनाकर सब झुग्गी वालों को वह मुफ्त में देना(उनका फोटो पहचान पत्र आदि रखकर) और निरंतर उन पर निगरानी रखना (अधिक पीने वाले खाली या विक्षिप्त लोगों को पुर्नजीवन केन्द्र मे रखा जा सकता है आदि) ;

-उसके बाद वहॉ के समुदाय भवनों और प्रशिक्षण केन्द्रों या अन्य बड़े भवनों में वहॉ के अनियमित बने मकानों के लोगो को स्थानांतरित करना (हिस्सों में बारी बारी से, उनकी संपत्ति का हिसाब रखते हुए);

-उसके बाद बहुरूपी अनियमित बने मकानों को गिराकर एक समान आकार के मकान बनाना और उनको विस्थापित लोगों को (LIG MIG HIG श्रेणी के अनुसार) आबंटित करना. इससे धीरे-धीरे सारा क्षेत्र ही समान रूप होगा और सड़के सीधी होंगी विशेषकर गॉवों और कस्बों में.

-अंत में संस्था को अपना ध्यान क्षेत्र के विधालयों, हस्पतालों, दवा केन्द्रों, वाहन अड्डो और सावर्जनिक शौचालयों-मूत्रालयों की व्यवस्था पर देकर वहाँ की अनियमितताओं को दूर करना होगा ।

लाभ :

संस्थाओं का यह कदम पूरे भारतवर्ष का नक्शा ही बदल देगा और हमारा देश हर जगह रहनें के लायक होगा. विदेश में हमारी छवि एक संपन्न देश की होगी न कि एक गरीब देश की.

(ब) अपने देश के नये घरों में स्थापित लोगों और अन्य स्थानीय निवासियों की जनगणना कर एक सूची बनाना और बाहर से आये विस्थापितों को उनके मातृ स्थान पर भेजने का प्रबंध करना। उनकी रोज़ी रोटी और रहने के प्रबंध से व इसके लिए राजी होंगे। यह संभव है क्योंकि जब सारे ही गॉव और शहर विकास कर रहे होंगे तो लोग अपने घरों को लौटना पसंद करेंगे (बिहार का उत्थान इसका उदहारण है)। यह कदम शहरों में विकसित किरायेदारी की प्रथा (जिसकी आय अधिकतम लोग नगद में रखते हैं) को रोकने में और इससे उपजित अवैध निर्माण और अपराधों के नियंत्रण में भी सहायता करेगा। कई लोग केवल किराये की आमदनी निश्चित कर खाली रहते हैं और गलत कामें में संलग्न हो जाते हैं।

लाभ –

-जनगणना से संस्था के पास क्षेत्र के लागों और उनकी रिहायशी और व्यवसायिक संपत्ति का ब्योरा होगा जिससे उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण लाया जा सकेगा।

-साथ ही वास्तविक गरीबों (समझ से गरीबों) की सूची बनने से उनके उत्थान के लिए बनी नीतियॉ अपने सही अर्थ में उनका भला/उत्थान कर पायेंगी।

(ख) बार बार नियमित रूप से किये जाने वाले कार्य

1. सभी जरूरतमंद स्थानीय लोगों का पुर्नद्धार

सभी मज़दूर वर्गीय जनता/फेरी वाले / पटरी दुकानदार या झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाल लोगों को सलाह देना और उनके मानसिक स्तर के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण के लिए भेजना। मिस्त्री, मजदूर, नाई, फूल वाले, इस्त्री वाले, मोची, पान दुकान वाले आदि सभी को उचित निर्देशों की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के बाद कर्मशियल दुकानें या क्षेत्र बनाकर उनमें ऐसे लोगों को स्थापित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र में व्यवसायिक परिसरों में खाली पड़ी दुकानों को एक नीति के तहत ऐसे लोगों को सौंपा जा सकता है।

पटरी पर काम करने वाले युवकों को प्रशिक्षण देकर सड़क पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) बनाकर भी काम पर लगाया जा सकता है। क्या 6000-10000 तक कमाने वाले इन युवकों को सेवा संस्था इतना वेतन नहीं दे सकेगी?

लाभ-

प्रशिक्षित अशिक्षित अवश्य ही देश के नव निर्माण में ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे और इस कदम से अपराधों को भी रोका जा सकेगा. सड़क पर होने वाली गंदगी पर लगाम लगायी जा सकेगी.

2. **<u>साफ सफाई, रख रखाव और मरम्मत-</u>**

सभी सड़कों, पटरियों और उद्धानों की ।जब लोग सेवा संस्था का कार्यक्षेत्र सीमित और नियंत्रित होगा, उसके पास क्षेत्र के लिए बजट और फंड होगा और निजि क्षेत्र का कसा हुआ अनुशासन होगा तो यह कार्य आधुनिक गजटों द्वारा यू एस और जापान आदि के मुकाबले का हो सकेगा।

लाभ-

क्षेत्र के लोग नियमित और समय पर सेवा पायेंगे, वातावरण सुंदर और स्वच्छ होगा और शिकायतों का शीघ्र निवारण हो पायेगा।

3. **देख रेख/निरीक्षण**

सभी क्षेत्र में होने वाले कार्यों की, ठेकों की (निवासी कल्याण समितियों को मिलाकर) कार्य के दौरान ही गुणवत्ता आश्वस्त करना।

-सभी सड़कों और उद्धानों और पटरियों की, जिससे आरंभ में ही अधिग्रहण रोका जा सके।

-जन व्यवहार की, जिससे सड़क पर फेंके जाने वाले कूड़े, पींक, लघुशंका आदि को रोका जा सके।

-क्षेत्र में नियमित पुलिस सेवा और कानूनी सेवा को आशवस्त करने के लिए।

-सभी स्कूलों, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों की –सरकारी नियमों के कढ़ाई से पालन के लिए।

-सभी क्षेत्र के हस्पतालों और रोग निवारण संस्थानों और डिस्पेंसरियों की, जिससे वहॉ की जनता को उचित चिकित्सा सेवा शीघ्र सुलभ हो सकें।

-उन सभी गतिविधियों की जो कि साफ सफाई, उच्च श्रेणी रख रखाव और क्षेत्र में अनुशासन से संबंधित है।

लाभ-

-ठेकेदारों द्वारा संपादित कार्य उच्च श्रेणी के होंगे और निश्चित बजट और समय के भीतर हो पायेंगे।कार्य के तुरंत बाद सफाई और मरम्मत की व्यवस्था होगी। एक ही संस्था के पास बनाना और रख रखाव का कार्य होने पर समन्वय और सहयोग की समस्या ही समाप्त हो जाएगी।

-सड़क निरिक्षक किसी भी प्रकार के अधिग्रहण को रोक पायेंगे।

-जब सारा ही क्षेत्र साफ और अलंकृत होगा तो जनता में एक स्व-अनुशासन स्वतः ही आएगा. (जैसे कि दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर)।

-स्कूलों और हस्पतालों में उपलब्ध संसाधन और दवाइयों आदि पर नियंत्रण से उनकी सेवाओं में सुधार होगा और शिक्षकों, चिकित्सकों और अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति भी आश्वस्त की जा सकेगी।

4. नियमित जन और संपत्ति गणना (सेंसस) –(सड़क निरीक्षकों और उनके अधिकारियों की मदद से)

क्षेत्र में बनने वाले मकान, दुकान, फैक्ट्री और फ्लोर आदि का नियमित आकलन और उनका भूमि रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण में दर्ज रिकार्ड से मिलान। क्षेत्र में खरीदे गये वाहनों का ब्योरा रखना और परिवहन पंजीकरण कार्यालय से मिलान करना। जनगणना और जन समस्याओं का आकलन। संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए स्कीम बनाना आदि।

लाभ-

यह कार्य संपत्ति और टर्नओवर आधारित कर प्रणाली में सहायता देगा और किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ सही व्यक्तियों/परिवारों को मिला कि नहीं –यह आशवस्त करेगा।

5. केन्द्रीय कार्यालयों का संपर्क सूत्र

जब संस्था के पास क्षेत्र में रहने वालों की संशोधित (नवीनतम) एवं उनकी संपत्ति (भूमि अनुसार) सूची होगी तो नागरिकता और पंजीयन से संबंधित सभी प्रार्थना पत्रों/दस्तावेजों को यह संस्था प्रमाणित कर संबंधित केन्द्रीय कार्यालयों को भेज कर एक समयबद्धता के साथ जनता के कार्य संपादित करवा पायेगी। साथ ही क्षेत्रिय आवश्यकताओं जैसे भूमि विकास, राशन, पानी आदि को भी संबंधित केन्द्रीय कार्यालयों से वार्तालाप कर यह संस्था पूरा करने में मदद करेगी। राष्ट्रीय योजनाओं का क्रियान्वन तो इन संस्थाओं के ज़रिये बड़े सशक्त तरीके से होगा, क्योंकि फंड तो इनके पास होंगे या इन्हें ही एकत्रित करने होंगे और किन्हें योजना का लाभ पहुँचाना है उनकी सूची भी इस संस्था के पास होगी।

लाभ-

संस्था का यह कार्य सरकार के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर मददगार साबित होगा। सरकारी कार्यालय जो आज लोगों के विवरण सत्यापित करने में ही काफी उर्जा और समय नष्ट करते हैं और जिसका उल्टे बड़े स्तर पर

दुरूपयोग होता है , संस्था द्वारा सत्यापन से अपने कार्यों को प्रार्थना पत्र,प्रपत्र, विवरणी आते ही निपटा सकेंगे। जनता के कई कार्य संस्था से सुलभ होने के कारण बहुचर्चित एक-खिड़की सेवा का भी सही मायने में श्री गणेश हो सकेगा। और यह सर्वविदित है कि एक-खिड़की सेवा प्रभावी रूप से निजि क्षेत्र का प्रबंधन ही प्रदान कर सकता है (प्रस्तावित ppp मॉडल)।

6. कर संग्रहण –

यह कार्य समस्त लोक सेवा सुधारों के लिए शरीर में रक्त की भाँति आवश्यक है। वर्तमान कर प्रणाली करों को 'स्वयं कर निर्धारण' व्यवस्था के अंतर्गत एक केन्द्रीयपूल में ले जाती है और फिर बजट द्वारा नीचे जरूरत के स्थान पर लाती है –राज्य सरकार, जिला कलैक्टर और नगर निगमों और पंचायतके मार्फत। इस प्रक्रिया में एक तो समय पर फंड उपलब्ध होने की समस्या पैदा हो गई है और दूसरे उपर से नीचे आने पर छीजन (भ्रष्टाचार के कारण) की समस्या। साथ ही साथ स्वय कर निर्धारण से लोग काफी कम कर देते हैं और सरकार को विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वैट, सर्विस टैक्स से अपनी आपूर्ति करनी होती है जो कि निश्चित ही सफेद-काले धन की रचना करते हैं। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों को अपनी क्षमता अनुसार कर देने को प्रेरित करे और दूसरी तरफ कर देना उन्हें बोझ न लगे। **यह तभी संभव है** जबकि

-सरकार लोगों की कर देने की सही क्षमता को आंक सकें, और

- लोगों से एकत्रित कर पहले उन्हीं के क्षेत्र में प्रयोग में लाये जाए एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत।

ये दोनों बातें संभव हैं इस लोक सेवा संस्था को कर एकत्रित करने का कार्य देकर। सभी करों (विशेषत: आय कर , सेवा कर , उत्पाद शुल्क , सीमा शुल्क , वैट और सम्पति कर) को एक नीति के तहत समाप्त कर 1 अप्रेल से निम्न वर्णित कर प्रणाली समस्त भारत में लागू की जा सकती है।

नयी कर पद्धति

सरकारी कर विभागों का करदाताओं और कर देने योग्य जनता पर नियंत्रण न होने के कारण स्वयं कर निर्धारण योजना जन सेवा और नासमझ जनता के उत्थान में बुरी तरह से नाकामयाब सिद्ध हुई है. इसीलिए स्वयं कर निर्धारण योजना के स्थान पर कर योग्य घटकों का निर्धारण कर क्षेत्र की लोक सेवा संस्था अपने क्षेत्र के लोगों पर बीजक (bill) भेजकर कर एकत्रित करेगी तो कर चोरी और कर बचाओ (न दो) की प्रवृति पर रोक लगेगी. कर योग्य घटक निम्न होंगे:

अ. संपत्ति -वाहन भूमि, दुकान, मकान

ब. व्यवसायिक बिक्री या प्राप्ति.

इन घटकों पर निम्न प्रस्तावित दरों से संस्था कर एकत्रित करेगी:

सालाना

कार पर	:	रु 10,000
जीप/बडी कार	:	रु 20,000
ट्रक/कैंटर/ट्रेक्टर	:	रु 30,000
छोटा व्यवसायिक वाहन/आटो	:	रु 10,000
रिहायशी भूमि/मकान	:	रु 50 प्रति वर्ग फुट
कृषि भूमि	:	रु 2000 प्रति एकड़
व्यवसायिक भूमि	:	रु 100 प्रति वर्ग फुट
सरकारी भूमि/भवन	:	रु 10 प्रति वर्ग फुट

मासिक

उत्पादन/निर्माण उधोग	:	सकल बिक्री का 2 प्रतिशत
थोक व्यापारी	:	सकल बिक्री का 2 प्रतिशत
फुटकर व्यापारी	:	सकल बिक्री का 3 प्रतिशत
सेवा क्षेत्र	:	सकल प्राप्ति का 3 प्रतिशत

उत्पादन / सकल बिक्री / सकल प्राप्ति का ऑंकडा सीए द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र द्वारा संस्था पर पहुँचेगा और जिसकी समय समय पर अलग से चैकिंग होगी ।

विदेशी मसौदों या लेन देन आदि पर रिर्जव बैंक कर लगा सकती है।

छूटें - रिहायशी मकान -30वर्ग गज, बिक्री/प्राप्ति - 5 लाख (सी.ए प्रमाणित), NGO- चैरिटी पर खर्च रकम (सी.ए प्रमाणित), सरकारी संस्थान – ग्रांट केवल ।

इतने सरल कर प्रवाधान को आज देखिए कितना उलझा दिया गया है ? बजट के 300 करोड, 200 करोड आदि कल्याण के लिए रखे जाने पर भी सब कहाँ चला जाता है ?

उदाहरण – <u>विभिन्न तरह के करदाताओं के अनुसार</u>

मि. क के पास दो तल वाला 250 वर्ग मीटर का घर , दो कारें , एक स्कूटर , एक 1000 वर्ग मीटर का व्यवसायिक परिसर(उत्पादन) जॅहा से 5 लाख माह की बिक्री बिलों से और 5 लाख की बिना बिल के नकद में होती है , क्षेत्र A में हैं । क्षेत्र B में 200 वर्ग मीटर प्रति प्लाट के तीन प्लाट – एक अपने नाम , एक पत्नी के नाम और एक संबंधी के नाम । क्षेत्र C में उनका एक 3 एकड का फार्म हाऊस है । सभी खर्चो के बाद वे अपनी सालाना आयकर योग्य आय 5 लाख और 1 लाख की छूट योग्य बचत दिखाते है ।

वर्तमान दरों से कुल कर –

60 लाख बिक्री के लिए लागत 40 लाख मानते हुए

उत्पाद या सीमा शुल्क औसतन 15 प्रतिशत से	-	5,21,740
सेवा कर खर्चो पर -		50,000 लगभग
वैट 12.5 की प्रतिशत से 12 लाख(60 का 20 प्रतिशत) पर (लगभग)	-	1,50,000
आय कर (5-1) 4 लाख पर(1.80 छूट घटाकर)	-	22,000

सम्पत्ति् या अन्य इसी तरह के कर	-	50,000
कुल		7,93,740
जमा 60 लाख की नगद बिक्री में जुड़ा कर	-	5,21,740
सरकार को मिला कुल कर	-	13,15,480

(अमूमन 10.5 प्रतिशत कुल 120 लाख बिक्री या 21.5 प्रतिशत 60 लाख का)

खर्च योग्य आय (70 लाख की लागत और 20 लाख(वास्तविक 15) के अन्य खर्चे मानते हुए)

(12000000-7000000- 2000000-1315480)	--	16,84,520
बैंक योग्य आय (400000-22000)	--	372000
नगद आय (1684520 - 372000 प्लस 500000)	--	1812520
सरकारी विनियोग (Investment)	--	100000

नयी कर व्यवस्था में कुल कर –

	मद	वार्षिक कर
क्षेत्र A में	कारों पर	20,000
	दो तल वाले घर पर 250 *9*2*50	2,25,000
	व्यवसायिक परिसर पर 1000*9*100	9,00,000
	बिक्री पर 120 लाख 2 प्रतिशत से	2,40,000
क्षेत्र B में		
	तीन प्लाटों पर 200*9*50	90,000
क्षेत्र C में		
	फार्म हाऊस पर 3*5000	15,000
	कुल कर	14,90,000

बैंक योग्य आय (वास्तविक खर्चे 15 लाख मानकर)

(12000000-7000000*-1500000-1490000)	--	20,10,000
सरकारी विनियोग	--	20,10,000

* (80 लाख में जुडा 10 लाख कर घटा कर)

मि. क को लाभ – बिल न बिल से उपजे तनाव से मुक्ति , सारा धन सफेद , प्लाट आदि बेचकर कर कम करने की सुविधा,सरकारी विनियोग पर कर मुक्त ब्याज,आसपास साफ सफाइं , अपराध कम , लोक सेवा केन्द्र से सभी सेवायें , खातें सरल, कठिन समय में सुरक्षा ज्यादा बैंक खाते रखने के झंझट से मुक्ति , कीमतें कर मुक्त और टैन्ड कर्मचारीयों की उपलब्धता।

सरकार को लाभ – सरल कर प्रणाली , क्षमता अनुसार कर वसूली , करों में पक्षपात की समस्या समाप्त , पिछडे क्षेत्रों का विकास,जनता का समान वितरण ,विभागिय समन्वय की समस्या समाप्त , सुद्धढ रखरखाव और निरीक्षण, स्कूलों और हस्पतालों पर नियंत्रण ,अशिक्षतों की बढ़ती जमात कम, पारदर्शिता संभव और देश व नेताओं की छवि में सुधार आदि ।

मि. ख - क्षेत्र A में एक वेतन भोगी ,तन्ख्वाह 70,000 , एक कार बड़ी , एक घर 1400 वर्ग फीट , क्षेत्र B में एक रिहायशी प्लाट 1800 वर्ग फीट ।

वर्तमान दरों से कुल कर – (एक विश्लेषण के आधार पर वेतन भोगी को 25 प्रतिशत भाग अपने वेतन का करों (सभी छः कर) में देना पड़ता है)

840000 * 25/100 - 2,10,000

नयी कर व्यवस्था में कुल कर –

	मद	वार्षिक कर
क्षेत्र A में	कार पर	20,000
	घर पर 1400*50	70,000
क्षेत्र B में		
	प्लाट पर 1800*50	90,000
	कुल कर	1,80,000

वेतन भोगी को असीम राहत । वेतन बड़ने पर भी कर उतना ही रहेगा ।

मि. ख को लाभ – सभी वस्तुयें बिल पर उपलब्ध , प्लाट आदि बेचकर कर कम करने की सुविधा , आसपास साफ सफाइँ , अपराध कम , लोक सेवा केन्द्र से सभी सेवायें , खातें सरल, कठिन समय में सुरक्षा , कीमतें कर मुक्त और घर , ड्राइवर आदि के लिए टैन्ड कर्मचारीयों की उपलब्धता।

सरकार को लाभ – सरल कर प्रणाली , स्रोत पर कर के झंझट से मुक्ति , क्षमता अनुसार कर वसूली , करों में पक्षपात की समस्या समाप्त ,पिछडे क्षेत्रों का विकास,जनता का देश में समान वितरण ,विभागिय समन्वय की समस्या समाप्त , सुद्धढ़ रखरखाव और निरीक्षण, स्कूलों और हस्पतालों पर नियंत्रण ,अशिक्षतों की बढ़ती जमात कम, पारदर्शिता संभव और देश व नेताओं की छवि में सुधार आदि ।

मि. ग - क्षेत्र A में एक किसान ,एक खेत 5 एकड़(सेल 10 लाख्) , एक जीप बड़ी , एक घर 2400 वर्ग फीट , क्षेत्र B में एक दुकान 150 वर्ग फीट (60 लाख की सेल) , एक बाग 10 एकड़ (सेल 20 लाख) ।

वर्तमान दरों से कुल कर – दर लगभग 10 प्रतिशत क्रषि आय पर छूट से

90 लाख* 10/100 - 9,00,000

नयी कर व्यवस्था में कुल कर –

	मद	वार्षिक कर
क्षेत्र A में	जीप पर	20,000
	घर पर 2400*50	1,20,000
	खेत पर 5*5000	25,000
क्षेत्र B में		
	बाग पर 10*5000	50,000
	दुकान पर 150*100	15,000
	सेल पर 9000000*3/100	270,000
	कुल कर	5,00,000

सारंश में नयी कर व्यवस्था में छोटे किसानों ,मेहनतकश और वेतन भोगी को करों में राहत और बड़े व्यवसायियों को सरकार से मिलने वाली सुविधायों में बड़ा इजाफा होगा । कर आधार और कर इकाईयों में वद्धि होगी । हर क्षेत्र के पास सामाजिक सुरक्षा निधी होगी जिसे निरक्षर और गरीब के विकास के लिए

खर्च किया जा सकेगा ।

7. कर वितरण – उदाहरण – <u>विभिन्न तरह के क्षेत्र अनुसार</u> – सलंग्न

यह कार्य केन्द्र पर पैसा पँहुचाने और किसी क्षेत्र या राज्य में पैसे की कमी को पूरा करने के लिए अति महत्वपूर्ण है । उदाहरण से स्पष्ट है कि -

- हर क्षेत्र को समान मासिक कर राशि आबंटित है। अधिक कर संग्रहित राशि मुख्य मंत्री कार्यालय में जमा की जायेगी ।
- मुख्य मंत्री कार्यालय कुल जमा राशि में से उन क्षेत्रों की कमी पूरा करेगा जँहा कर संग्रहण आबंटित राशि से कम है । बाकी बची राशि में से अपने खर्चे निकालकर शेष केन्द्र को भेजा जायेगा ।
- केन्द्र बजट के अनुसार सभी मंत्रालयों को फंड देगा और साथ ही उन राज्यों की भी पूर्ती करेगा जँहा कुल कर संग्रहण सभी क्षेत्रों की कुल आबंटित राशि से कम है ।

<u>लाभ</u>

देश के सभी राज्यों और राज्य के सभी क्षेत्रों को एक समान निधी उपलब्ध होगी जिससे पक्षपात की समस्या समाप्त होगी । सारा देश एकसाथ विकास करेगा । लोक सेवा केन्द्रों पर जिम्मेवारीयॉ आने से सरकार की कई जिम्मेवारीयॉ कम होंगी ।

संभावना

चूंकि भ्रष्टाचार उन्मूलन का यह हल सरकार के वर्तमान लोकतांत्रिक ढ़ाचे के अंदर और किसी भी सरकारी कर्मचारी को हटाये बिना लागू किया जा सकता है तो राष्ट्रपति का एक ओरडीनैंस ही इसे देश में लागू करने के लिए काफी है । एक एक कर क्या कदम उठाये जाये यह सरकारी समिति और विशेषज र्निधारित कर सकते है ।

ज्यादा जानकारी के लिए देखें साइट www.actionforchange.co.in